

भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड Railway Board)



No.70/WDO/ORI/RO/1 Vol. IX

New Delhi, dated: 01.05.2023

As per standard list,

Sub: Gazette Notification for the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2023

Please find enclosed herewith a copy of the Gazette Notification bearing No. G.S.R. 321(E) in Hindi and English version, for information and necessary action.

DA: as above.

्रिन्/१९ ५ गाँ । ५५ (अजीत कुमार झा) शक सिविल इंजीनियरिंग (जी)

कार्यपालक निदेशक सिविल इंजीनियरिंग (जी)

(रेलवे बोर्ड)

[Phone: 030-44803(Rly), 011-23383379(MTNL)]

{e-mail address: edceg2022@gmail.com}

LIST FOR DISTRIBUTION

- 1. General Managers, All Indian Railways & Production Units
- 2. General Manager (Con), N.F. Railway, Guwahati
- 3. General Manager / CORE, Allahabad.
- 4. Chief Administrative Officers (Con), All Indian Railways (Except N.F. Railway)
- 5. Principal Chief Engineers, All Indian Railways
- 6. PFAs, All Indian Railways
- 7. THE Deputy Controller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi

(A)

- 1. CAO, COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi
- 2. Principal CAO, Diesel Loco Modernization Works, Patiala (Punjab)
- 3. CAO (Workshop Projects), Chamber Bhawan, Judge's Court Road, Anta Ghat, Patna-800001, Bihar

(B)

- Director General, RDSO, Manak Nagar, Lucknow
- 2. Director General, NAIR, Vadodara
- 3. Director, IRICEN, Pune 411 001 (Maharashtra)
- 4. Director, IRIEEN, PB N6.-233, Nasik Road-422101 (Maharashtra)
- 5. Director, IRISET, Taa Naka Road, Lalla Guda, Secunderabad-500017
- 6. Director, IRIMEE, Jamalpur Distt-Jamalpur, PIN-811214 (Bihar).
- 7. Director, IRITM, Sarswati Residential Estate, IRITM Campus, Manak Nagar, Lucknow

(C

- l. MD, CONCOR, Concor Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi- I10076.
- 2. IRCON International Limited, C-4, District Centre, Saket, New Delhi- 110017
- 3. MD, RITES Ltd., RITES Bhawan, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon.
- 4. CMD, RVNL, August Kranti Bhawan, Plot No. 25, 1th Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi.
- 5. MD, MRVC Ltd., Churchgate Station Bldg, Mumbai- 400020
- 6. CMD, KONKAN Railway Corporation Ltd, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
- 7. MD, DFCCIL, 51 Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi-II 0001
- 8. MD, RLDA, Near Safdarjung Railway Station, Moti Bagh, Phase-I, New Delhi-
- 9. 110021 MD, CRIS, Chanakyapur, New Delhi. .
- IO. CMD, RailTel Corporation ofIndia Ltd. Plot No. 143, Institutional Area, Sector-44, Gurgaon 122003.
- 11. CME, IROAF, Izt!i Floor, Core-I, Scope Minar, Distt. Centre, Laxmi Nagar, Delhi- 110092
- Managing Director, IRFC Limited, UG Floor, EastTower, NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, LodhiRoad, Pragati Vihar, New Delhi.
- 13. CMD, IRCTC Ltd., B-148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi 110001
- 14. CMD, Braithwaite & Co. limited, 5 Hide Road Kolkata 700043.

Copy to:

(A)

- 1. General Secretary, IRCA, DRM Office, New Delhi.
- 2. General Secretary, AIRF, Rail Bhawan, New Delhi
- 3. General Secretary, NFIR, Rail Bhawan, New Delhi
- 4. General Secretary, IRPOF, Rail Bhawan, New Delhi
- 5. General Secretary, FROA, Rail Bhawan, New Delhi
- 6. General Secretary, AIRPA, Rail Bhawan, New Delhi
- 7. General Secretary, AISC & STREA, Rail Bhawan, New Delhi
- 8. The Secretary, RBSS, Group (A) Offices Association, Rail Bhawan
- 9. The Secretary, RBSS, Group (B) Offices Association, Rail Bhawan
- 10. General Secretary, RBSSS Association, Rail Bhawan
- 11. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan
- 12. The Secretary, Railway, Group (D) Employees Association, Rail Bhawan

(B)

- Concerned PSO for kind information of Chairman cum CEO, M/Infra, M/T&RS, M/O&BD, M/Finance, Railway Board
- 2. Adv./MR, EDPG/MR, OSD/MR, OSD(Co-ord)/MR
- 3. Chief Vigilance Officers, All Indian Railways.
- 4. DG(RHS), DG(RPF), AM(CE), AM(Works), AM(B), AM(Elec.), AM(RS), AM(ME), AM/Tele, AM/C&IS, AM/Sig., AM(Plg.), PED(B&S), PED(Vigilance), PED(Infra.), PED(GS), PEDCE(P), EDCE(G), EDTK(M&MC), EDCE(B&S), EDF(X), ED(Works), EDW(Plg.), ED/Project(Mon.), ED(L&A), ED(PSU), EDVE, EO(Safety), ED(SIg.Dev.), ED(Tele), EDRS(G), EDRE, EDEE(G), EDFE, EDE(N), ED(Accounts), ED/T&MPP, EOME(Chg.), EDME(Frt.), ED/Pig., ED/GS/S&T, ED/GS/F:; ED/GS/Civil-1, ED/GS/Civil-II, ED/GS/Elec., JS(conf), JS(P), JS(G), JS(D), Vigilance-III, Vig(Conf) of Railway Board.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245504 CG-DL-E-28042023-245504

बसाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—चण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राविकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] No. 259] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

विधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 321(ब).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) संशोधन नियम,
 2023 हैं।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजिक वहन के लिए) नियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के प्रारंभिक भाग में, "धारा 28, 29 और 198" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 198" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों के अध्याय-। के नियम 2 में,-
 - (i) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: '(झ क) "महत्वपूर्ण पुलों" से वे पुल अभिप्रेत हैं जिनका 300 मीटर का एक रैखिक जलमार्ग या 1000 वर्गमीटर या उससे अधिक का कुल जलमार्ग है और जिन्हें मुख्य अभियंता या मुख्य पुल अभियंता द्वारा

जलमार्ग की गहराई, नदी प्रशिक्षण कार्यों की सीमा और रखरखाव की समस्या जैसे विचारों के आधार पर महत्वपूर्ण माना जाता है;';

(ii) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किये जाएंगे, अर्थात्: -

'(ञ क) "बड़े पुल" से वे पुल अभिप्रेत हैं जिनका कुल 18 रैखिक मीटर अथवा उससे अधिक का जल मार्ग होता है अथवा जिसमें किसी एक अवधि में 12 रैखिक मीटर अथवा उससे अधिक की स्पष्ट ओपनिंग होती है;

'(ञ ख) "छोटे पुल" से वे पुल अभिप्रेत है जो न तो "महत्वपूर्ण पुल" हैं और न ही "बड़े पुल";'।

4: उक्त नियमों के अध्याय-॥ में.-

- (i) नियम "1." को नियम "3." के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित नियम 3 में, उप-नियम (1) के पश्चात् आने वाले उप-नियम 2 और 3 को क्रमशः उप-नियम (2) और (3) के रूप में रखा जाएगा।
- (ii) नियम 3 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:"परंतु, निम्नलिखित मामलों को आयुक्त को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि फॉर्म 'XVI क' में
 निर्दिष्ट है, अर्थात्: -
 - (क) ऊपरी पैदल पुलों और ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, आशोधन और मजबूत करना;
 - (ख) छोटे पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनः गर्डर लगाना और मजबूत करना;
 - (ग) छोटे पुलों के अलावा सभी मौजूदा पुलों पर पुन: गर्डर गडार लगाना और मजबूत करना;
 - (घ) चौकीदार युक्त क्रॉसिंग को हटाना;
 - (ङ) बाहरी स्टेशन सीमाओं की इंटरलॉकिंग सहित समपार को अपग्रेड करना;
 - (च) बिजली कर्षण को चालू करना;
 - (छ) समर्पित माल गलियारे से संबंधित कार्य।"
- (iii) नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4क. प्रधान मुख्य इंजीनियर या प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर या प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्ताबेज़ - नियम 3 के परंतुक में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए, विशिष्ट मामले से यथा संबंधित नियम 4 में उल्लिखित दस्तावेज संबंधित वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय रेलवे के यथास्थिति प्रधान मुख्य इंजीनियर या प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर या प्रधान मुख्य सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर को प्रस्तुत किए जाएंगे,

(iv) नियम 5 में,-

- (क) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "5. आयुक्त को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की विषयवस्तु"
- (ख) उप-नियम (1) के खंड (ञ), (ट), (ठ) और (ड) का लोप किया जाएगा।
- (ग) उप-नियम (2) के खंड (घ) का लोप किया जाएगा।
- (घ) उप-नियम (4) के खंड (क) के उप-खंड (vii) का लोप किया जाएगा।
- (ङ) उप-नियम (7) का लोप किया जाएगा।
- (v) नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"5क. क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य इंजीनियर या प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर या प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों की विषयवस्तु - नियम 4क में संदर्भित दस्तावेज़ों में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे

- (1) सारणीबद्ध ब्यौरे जिसमें यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए रेलवे या रेलवे के सेक्शन को चालू करने की मुख्य विशेषताएं शामिल होंगी तथा इसमें विशेषतया निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे
 - (क) फॉर्म II में यथा विनिर्दिष्ट ढलान (ग्रेडिएंट) सार;
 - (क) फॉर्म !!! में यथा विनिर्दिष्ट पुल का सार;
 - (ग) फॉर्म V में यथा विनिर्दिष्ट गिट्टी तथा रेलपय;
 - (श) फॉर्म IX में यथा विनिर्दिष्ट समपार का विवरण;
 - (ड) फॉर्म X में यथा विनिर्दिष्ट कर्षण संस्थापन का संक्षिप्त विवरण;
 - (च) फॉर्म XI में यथा विनिर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति संस्थापन का सार;
 - (ब्र) फॉर्म XII में यथा विनिर्दिष्ट कर्षण अनुरक्षण डिपो का सार;
 - (ज) फॉर्म XIII में यथा विनिर्दिष्ट सीमित शिरोपरि उपस्कर निकासी सार; तथा
 - (म) फॉर्म XIV में यथा विनिर्दिष्ट रेलवे ट्रैक के ऊपर विद्युत क्रासिंग का सार।
- (2) सूचकांक नक्शा (Index Plan) और सेक्शन शीट भारतीय रेल इंजीनियरिंग विभाग संहिता के पैरा 443 से 451 के अनुसार तैयार की जाएगी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है-
 - (क) प्रत्येक तरह के प्रयुक्त गर्डरों की ड्रॉइंग दर्शाते हुए पुलों की संपूर्ण ड्रॉइंग तथा भार मानक जिनके लिए प्रत्येक का डिज़ाइन तैयार किया गया है और (यदि प्रधान मुख्य इंजीनियर, क्षेत्रीय रेल द्वारा मांगा गया हो), उनकी क्षमता की गणना का ब्यौरा; तथा
 - (ख) शिरोपरि उपस्कर मास्टों के आरेखों को समाविष्ट करना, यदि लागू हों।
- (3) प्रश्नोत्तरों की सूची फॉर्म XV में सूचीबद्ध प्रश्नों के अनुसार तैयार की जाएगी।
- (4) मुख्य अभियंता द्वारा फॉर्म 'XVI क' में उल्लिखित सामग्री के अनुसार कार्य का प्रमाण पत्र, जिसमें नियम 3 के परंतुक में उल्लिखित विशिष्ट मामले पर लागू निम्नलिखित मदों पर टिप्पणी शामिल है, अर्थात्:-
 - (i) अधिकतम और न्यूनतम आयाम;
 - (ii) पुलों की क्षमता;
 - (iii) एक अवधि में इंजनों की संख्या;
 - (iv) ब्रेक और संचार व्यवस्था;
 - (v) विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के वहन के लिए सवारी डिब्बों में स्थान;
 - (vi) कार्यप्रणाली;
 - (vii) बिजली कर्षण उपस्कर (यदि लागू हों); तथा
 - (viii) प्रतिबंधों की सूची के साथ प्रस्तावित चल स्टॉक की किस्में।
- (5) अधिकतम और न्यूनतम आयामों के अतिलंघनों (infringements) की सूची को फॉर्म XVII के अंतर्गत तैयार किया जाएगा और रेलवे के आमान तथा अतिलंघन सूची की मदों को इसमें दर्शाया जाएगा और अतिलंघन किए जाने के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण तथा जिसकी अनुमति अथवा आज्ञा से यह अतिलंघन किया गया है, उस प्राधिकारी का संदर्भ दिया जाएगा।
- (6) चालू किए जाने के लिए रेलवे के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर लागू किए जाने वाले संचालन आदेशों को, साधारण नियमों के अध्याय V में उपबंधित नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा किसी भी विशेष परिस्थिति जिसका सामना किया जाना अपेक्षित हो, का उल्लेख किया जाएगा।
- (7) जहां रेल लाइन पर विद्युत कर्षण का आरंभ करना हो वहां संचालन आदेशों में कर्षण संचालन नियम शामिल होंगे।

5. उक्त नियमों के अध्याय ।।। में, -

- (i) नियम 6 के उप-नियम (1) में, "निरीक्षण से पूर्व" शब्दों के पहले "आयुक्त द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) नियम 7 के उप-नियम (2) में, "पुलों" शब्द के स्थान पर "महत्वपूर्ण या बड़े पुलों" शब्द रखे जाएंगे।
- (iii) नियम 8 में, "पुलों" शब्द के स्थान पर "महत्वपूर्ण या बड़े पुलों" शब्द रखे जाएंगे।
- (iv) नियम 10 के उप-नियम (4) में, "पुलों" शब्द के स्थान पर "महत्वपूर्ण या बड़े पुलों" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के बध्याय IV में. -

- (क) नियम 16 में.-
 - (i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"16. महत्वपूर्ण या बक्रे रेलवे पुलों का निरीक्षण"

- (ii) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "(1) आयुक्त स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगा कि यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए चालू किए जाने वाले रेलवे के प्रस्तावित महत्वपूर्ण/बड़े रेलवे पुल खड़े किए गए ढांचे अद्यतन अनुशेष और शुद्धि पर्चियाँ या नवीनतम संस्करण और अन्य संबंधित संहिता के साथ भारतीय रेल मानक पुल नियम, 1964 में विनिर्दिष्ट भार विशिष्टि के अनुरूप ही डिज़ाइन और निर्मित किए गए हैं तथा भार विशिष्टि एवं दबाव सीमा उससे अधिक नहीं हैं।
- (आं)उप-नियम (3) में, "भा.रे.मा. पुल नियम, 1964" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "भारतीय रेल मानक पुल नियम,1964 को अद्यतन युक्तिका और शुद्धि पर्चियों या नवीनतम संस्करण" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- (ख) नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:
 - "17. महत्वपूर्ण या बड़े पुलों के निरीक्षण की प्रक्रिया" (1) आयुक्त, प्रत्येक भिन्न-भिन्न पैटर्न या किस्म में कम से कम एक महत्वपूर्ण या बड़े पुल की जांच करेगा तथा निम्नलिखित की पर्याप्त संरक्षा के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा:-
 - (क) पुल का सामान्य डिज़ाइन;
 - (ख) पुल के विभिन्न हिस्सों या भागों के डिज़ाइन,
 - (ग) पुल के पूरे ढांचे का निर्माण या उसे खड़ा करना;
 - (व) गर्डर स्पैन और उन्हें सभी चारों आधारों पर टिकाना; एवं
 - (ङ) बेयरिंगों की किस्म और डिज़ाइन।
 - (2) जब आयुक्त को यह महसूस हो कि निरीक्षण के लिए यह आवश्यक है तथा यह जांचने के लिए कि रिवेट या बोल्ट उचित ढंग से तथा दक्षतापूर्वक लगाए गए हैं या नहीं, वह किसी भी रिवेट को कटवाने या बोल्ट को खोलने का आदेश दे सकता है और साथ ही विस्तृत निरीक्षण के लिए पुल के ढांचे के हिस्से को हटवा सकता है।
 - (3) यदि आयुक्त इस प्रयोजन के लिए नियुक्त पुल इंजीनियर के प्रमाणपत्र के अतिरिक्त आवश्यक समझे, तो वह उस भार के अधीन, जिसके लिए यह पुल डिज़ाइन किया गया है तथा जहां यह संभव न हो, उस स्थिति में उपलब्ध सबसे अधिक भार के अधीन भार विस्थापन जांच (Load Deflection Test) के लिए कह सकता है।
 - (4) (क) कार्ड विस्थापन (Card Deflection) जांच करते समय, दोलन (Oscillation) रिकॉर्ड करने के लिए कार्ड को रेलपथ की मध्य लाइन से उचित कोण पर रखा जाना चाहिए तथा रिकॉर्डिंग पेंसिल को जहां तक संभव हो, नुकीला रखना चाहिए और कार्ड विस्थापन जांच के अलावा इस प्रयोजन के

लिए उपलब्ध किसी अन्य उपयुक्त पद्धति या नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा भी भार विस्थापन जांच कराई जा सकती है।

- (ख) केन्द्रीय विस्थापन को मापते समय पीलपायों (abutments) या खम्भों यदि कोई हों, के विस्थापन के लिए, गुंजाइश रखनी चाहिए।
- (5) स्थिर विस्थापन रिकॉर्ड करने के लिए परीक्षण खंड के लिए अनुमेय बिल्कुल धीमी गति में तथा अधिकतम गति पर किए जाएंगे तथा गति को सावधानीपूर्वक स्टॉप वॉच या किसी अन्य स्वचालित साधन से मापा जाए।
- (6) पुल इंजीनियर द्वारा फॉर्म XVIII में विस्थापन (deflection) और दोलन (oscillation) के विवरण के साथ वास्तविक विस्थापन कार्ड आयुक्त के पास भेजा जाएगा।
- (7) गर्डर का विस्थापन सैद्धांतिक रूप से किया जाएगा तथा विस्थापन जांच के साथ तुलना करने के लिए इसे फॉर्म XVIII के स्तंभ 12 में दर्शाया जाएगा।
- (8) यदि भार विस्थापन जांचों के परिणाम संतोषजनक नहीं है तो भार विस्थापन जांच के अतिरिक्त आयुक्त किसी पुल गर्डर पर दबाव रिकॉर्डर जांच कराने की मांग कर सकता है।
- (9) (क) दबाव रिकॉर्डर जांच किसी अनुमोदित किस्म के दबाव रिकॉर्डर द्वारा ही कराई जाएगी।
 - (ख) जांच भार और गति, भार विस्थापन जांचों के लिए विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।
 - (ग) जांच, स्पैन के बीचों-बीच रज्जु (chord) या फ्लैंजों (flanges) पर की जाएगी तथा इसे जोड़ पट्टी (web) तथा निचले भागों (floor members) पर किया जाएगा जैसा आयुक्त उचित समझे।
 - (घ) यदि पर्याप्त औज़ार उपलब्ध हों, तो यह जांच साथ-साथ की जाएगी;
- (10) दबाव रिकॉर्डर डायाग्राम, इस परिकलन के साथ जिसमें यह दर्शाया गया हो कि डिज़ाइन लोड के नीचे पूर्ण प्रभाव सिहत (शून्य भार दबाव सिहत) अधिकतम दबाव को मापित दबाव में से किस प्रकार घटाया जाता है, को पुल इंजीनियर द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो पुल को चालू करने की अनुमित देने से पूर्व इस बात से स्वयं को संतुष्ट करेगा कि गर्डर का दबाव, अद्यतन अनुशेष एवं अग्निम शुद्धि पर्चियों या नवीनतम संस्करण और अन्य संबंधित संहिताओं के साथ भारतीय रेल मानक इस्पात पुल संहिता, 1962 में विनिर्दिष्ट दबाव से अधिक नहीं है।
- (11) यदि आयुक्त संतुष्ट हो कि गर्डरों को वांछित कार्य हेतु सही ढंग से डिज़ाइन किया गया है तो पुल गर्डरों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
- (12) यदि मानक डिज़ाइन के नए इस्पात गर्डर और इस्पात-कंक्रीट से बने गर्डरों का उनके विनिर्माण के समय, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन या संबंधित रेलवे के मुख्य पुल इंजीनियर द्वारा नियुक्त किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है और उन पर बेयरिंग डालने व फील्ड रिवेटिंग/बोल्टिंग सहित उनके संतोषजनक उत्थापन का प्रमाणपत्र दिया गया है, तो इनकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है:
 - परंतु, यदि अद्यतन युक्तिका शुद्धि पर्चियों या नवीनतम संस्करण और अन्य संबंधित संहिताओं के साथ भारतीय रेल मानक कंक्रीट पुल संहिता, 1997 के प्रावधानों के अनुसार भार जांच करना अपेक्षित नहीं है तो नए कंक्रीट पुलों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।
- (13) आयुक्त यह निश्चय करेगा कि पुराने प्लेट गर्डरों की जांच कराने की आवश्यकता नहीं है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि
 - (i) वांछित कार्य के निष्पादन के लिए गर्डर काफी मजबूत हैं; और
 - (ii) संबंधित रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि सामग्री और कारीगरी इस प्रकार की है कि विनिर्दिष्ट भार के लिए गर्डर के प्रयोग से अद्यतन अनुशेष एवं शुद्धि पर्चियों नवीनतम संस्करण और अन्य संबंधित संहिताओं के साथ भारतीय रेल मानक इस्पात पुल संहिता, 1962 में अनुभेय दबाव से अधिक नहीं है।

- (14) आयुक्त, यदि आवश्यक समझे तो वह जितने भी चाहे स्पैनों की जांच कर सकता है और किसी एक स्पैन की रेलवे के सेक्शन में अनुमेय अधिकतम गति सीमा तक किसी भी वांछित गति पर जितनी बार भी चाहे, जांच कर सकता है।
- (15) गैर-मानक पुल गर्डरों की भार विस्थापन जांच कराई जाए जो पहली बार फैब्रिकैटेड या निर्मित (यदि गर्डर पहले से ही भारतीय रेलों पर किसी अन्य पुल पर उपयोग किए जा रहे हैं और इनका निष्पादन संतोषजनक है तो इनकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है) किए गए हैं और ऐसी जांचों के परिणाम आयुक्त के पास भेजे जांएगे।
- (16) आयुक्त किसी गैर-मानक पुल गर्डरों की जांच कर सकता है, जो पहली बार फैब्रिकेट या निर्मित किया गया है।
- (17) पुल के डिज़ाइन एवं निर्माण के लिए जिम्मेदार इंजीनियर (जो किनष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम का अधिकारी नहीं होना चाहिए) आयुक्त को इस आशय का एक प्रमाणपत्र भेजेगा कि अद्यतन अनुशेष एवं शुद्धि पर्चियों या नवीनतम संस्करण और अन्य संबंधित संहिताओं के साथ भारतीय रेल मानक झलाई पुल संहिता, 2001 के अनुसार ही वेल्डिंग को डिज़ाइन किया गया है तथा उक्त इंजीनियर की संतुष्टि पर ही इसे निष्पादित किया गया है।
- (18) यदि इन वेल्डिंग के रेडियोग्राफिक परीक्षण का उल्लेख ड्रॉइंग या कार्यविधि शीट में किया गया है अथवा यह परीक्षण अद्यतन अनुशेष एवं शुद्धि पर्चियों या नवीनतम संस्करण और अन्य संबंधित संहिताओं के साथ भारतीय रेल मानक झलाई पुल संहिता, 2001 के उपबंधों के अनुसार कराया जाना अपेक्षित है तो ऐसे परीक्षण के परिणाम प्रमाणपत्र में संलग्न किए जाने चाहिए।
- 7. उक्त नियमों के अध्याय V के, नियम 19 के, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।
- 8. उक्त नियमों के अध्याय VI में,-

(क) नियम 21 में -

- (i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:- "(2) रेलवे के चालू करने का उपांतरण करते समय केंद्रीय सरकार उन सुझावों या शर्तों पर सम्यक् रूप से विचार करेगी जिसके अध्याधीन रहते हुए आयुक्त ने रेलवे को चालू करने की सिफारिश की है।"
- (ii) उप-नियम (6) में, "स्पष्टीकरण" के स्थान पर निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" रखा जाएगा, अर्थात्:"स्पष्टीकरण इन अध्यायों में नई रेलवे लाइनों में विद्यमान लाइन का विस्तार, नई दोहरी, तिहरी
 लाइन या विद्यमान लाइनों के साथ अन्य चालू लाइनें तथा एक आमान से दूसरे आमान में परिवर्तन
 शामिल है"
- (iii) उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अतं:स्थापित किया जाएगा, अर्यात्:-
 - "(7) विद्युत कर्षण आरंभ करने के लिए:-
 - (क) विद्यमान लाइनों या नई लाइनों या आमान परिवर्तन लाइनों या दोहरी लाइनों या बहु लाइनों एवं इस संबंध में किसी उच्च तनन संस्थापनों को क्रियाशील करने हेतु रेल विद्युतीकरण के लिए सेक्शन की 25 केवी एसी चार्जिंग विद्युत अधिनियम, 2003 में यथा उपबंधित बिजली निरीक्षक के अनुमोदन से किया जाएगा;
 - (ख) ऊपर उल्लिखित निर्माण कार्यों के लिए विद्युत कर्षण के साथ सेक्शन को चालू करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आगे बिना किसी और को प्रत्यायोजित किए सक्षम प्राधिकारी क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर होंगे।"
- (ख) नियम 22 के शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "22. आयुक्त द्वारा रेलदे को चालू करना" -

9. उक्त नियमों के अध्याय - VII में, -

- (क) नियम 24 के उप-नियम (1) में, "इस बात की जानकारी आयुक्त को देगा," शब्दों के स्थान पर "नियम 3 के परंतुक में उल्लिखित कार्य को छोड़कर इस बात की जानकारी आयुक्त को देगा," शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) नियम 25 में,
 - (i) उप-नियम (1) में "छोटा निर्माण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है," शब्दों के स्थान पर "नियम 3 के परंतुक में उल्लिखित कार्य को छोड़कर छोटा निर्माण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है," शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम (3) में "किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य" शब्दों के स्थान पर "नियम 3 के परंतुक में उल्लिखित कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य," शब्द रखे जाएंगे।
- (ग) नियम 25 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"25क. नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को चालू करना -

- (1) मदों के लिए:
 - (क) ऊपरी पैदल पुलों और ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, आशोधन और मजबूत करना:
 - (ख) छोटे पुलों का निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनः गर्डर लगाना और मजबूत करना;
 - (ग) छोटे पुलों के अलावा सभी विद्यमान पुलों पर पुन: गर्डर गडार लगाना और मजबूत करना;
 - (घ) चौकीदार युक्त क्रॉसिंग को हटाना;
 - (ङ) गैर-अंतर्पाशित समपारों का अपग्रेडेशन और समपारों पर सड़क का पथांतरण, निर्माण कार्यों का निष्पादन करने और उन्हें चालू करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आगे बिना किसी और को प्रत्यायोजित किए सक्षम प्राधिकारी क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर होंगे।
- (2) स्टेशन की सीमा से बाहर अंतर्पाशन के साथ अंतर्पाशित समपारों के अपग्रेडेशन संबंधी निर्माण कार्यों के निष्पादन की मंजूरी प्रदान करने के लिए आगे बिना किसी और को प्रत्यायोजित किए सक्षम प्राधिकारी क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर होंगे।

(घ) नियम 27 में,-

- (i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(1) आयुक्त की स्वीकृति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण या बड़े रेलवे पुल को खड़ा नहीं किया जाएगा या न ही यातायात के लिए चालू किया जाएगा, भले ही वह पुल सुसंगत प्रक्रिया संहिताओं में निर्धारित दबावों को बढ़ाए बिना ही भार को उठाने में सक्षम हो अथवा ऐसे किसी संदर्भ के अभाव में इसका डिज़ाइन संबंधी मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो।"
- (ii) उप-नियम (2) में, "पुल" शब्द के स्थान पर "महत्वपूर्ण या बड़े पुल" रखे जाएंगे।
- (iii) उप-नियम (3) में, "पुल" शब्द के स्थान पर "महत्वपूर्ण या बड़े पुल" रखे जाएंगे।
- (iv) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(4) क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य इंजीनियर की स्वीकृति के बिना रिगर्डरिंग और सुदृढ़ीकरण के पश्चात् कोई भी छोटा रेलवे पुल खड़ा नहीं किया जाएगा या यातायात के लिए चालू नहीं किया जाएगा और न ही कोई रेलवे पुल (महत्वपूर्ण या बड़ा और छोटा) यातायात के लिए पुन: चालू किया जाएगा, भले ही वह पुल सुसंगत प्रक्रिया संहिताओं में निर्धारित दबावों को बढ़ाए बिना ही भार को उठाने में सक्षम हो अथवा ऐसे किसी संदर्भ के अभाव में इसका डिज़ाइन संबंधी मानदंड केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

- (5) क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य इंजीनियर की स्वीकृति के बिना उप-नियम (4) में परिभाषित किसी रेलवे पुल पर ऐसा दबाव नहीं डाला जाएगा जो उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट दबाव से अधिक हो।
- (6) विद्यमान छोटे पुल को बंद करने के लिए क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य इंजीनियर की स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होगा।"

(ङ) नियम 28 में,-

- (i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा. अर्थात:-
 - "28. नए किस्म के रेल इंजनों या चल स्टॉक का उपयोग:
- (ii) उप-नियम (1) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:
 *स्पष्टीकरण: इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, समान श्रेणी (रेल इंजन या ट्रेनसेट जिसमें इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू), मेनलाइन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) या सवारी डिब्बे या वैगनों या रेलपथ मशीनों या क्रेनों या शिरोपरि निरीक्षण यानों या कोई अन्य श्रेणियां शामिल हैं) के

वैगनों या रेलपथ मशीनों या क्रेनों या शिरोपरि निरीक्षण यानों या कोई अन्य श्रेणियां शामिल हैं) के लिए पहले से ही उपयोग हो रहे इस प्रकार के मौजूदा रेल इंजनों की स्वीकृत अधिकतम गित या रेलवे बोर्ड द्वारा चल स्टॉक की स्वीकृत गित से अधिक वृद्धि को नए किस्म के रेल इंजनों या चल स्टॉक का उपयोग माना जाएगा।"

- (iii) उप-नियम (2) के खंड (क) में, "रेल इंजनों" शब्दों के स्थान पर "रेल इंजनों या आयामों" शब्द रखे जाएंगे।
- (iv) उप-नियम (2) के खंड (ग) में "पावर यूनिटों" शब्दों के स्थान पर "पावर यूनिटों या डीज़ल या इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों" शब्द रखे जाएंगे।
- (v) उप-नियम (4) में, "इंजन" शब्द के स्थान पर "रेल इंजन" शब्द रखे जाएंगे।
- (vi) उप-नियम (5) में, "इंजनों" शब्द के स्थान पर "इंजनों या रोलिंग स्टॉकों" शब्द रखे जाएंगे।
- (vii) उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(6) रेल इंजन या चल स्टॉक को नया माना जाएगा यदि रेल प्रशासन के किसी सेक्शन या मंडल पर पहले से ही उपयोग हो रहे से भिन्न है:

स्पष्टीकरण: किसी भी रेल इंजन या चल स्टॉक जिसमें बढ़े आयामों वाले (>5%)/ अधिक अतिलंघन या उच्च अधिकतम डिज़ाइन धुरा भार (>2%) या उच्च अधिकतम डिज़ाइन ट्रैक लोडिंग (>2%) या विभिन्न आधारभूत बोगी डिज़ाइन या भारतीय रेल पर वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही ब्रेकिंग प्रणाली से भिन्न ब्रेकिंग प्रणाली का नया डिज़ाइन या भिन्न किस्म का परिचालन या परिचालन की भिन्न प्रणाली और चल स्टॉक पर नियंत्रण या समान श्रेणी (रेल इंजन या ट्रेनसेट जिसमें इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, मेनलाइन इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या सवारी डिब्बे या वैगन या ट्रैक मशीन या क्रेनें या शिरोपरि निरीक्षण यान या कोई अन्य श्रेणी शामिल हैं) में पहले से ही उपयोग हो रहे समान प्रकार के मौजूदा स्टॉक की अधिकतम गति से प्रस्तावित अधिक गति को नया चल स्टॉक माना जाएगा। किसी अन्य चल स्टॉक को "व्युत्पन्न" स्टॉक कहा जाएगा।

(viii) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अतं:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -:

"(6क) नियम 28 के उप नियम (6) में उल्लिखित मानदंड के अनुसार, किसी रेल इंजन या चल स्टॉक, जिसे नया नहीं माना गया है और 'व्युपित्रत' कहा गया है, को उपयोग में लेने की मंजूरी अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन से मांगी जाएगी। ऐसे 'व्युपित्रत' रेल इंजन या चल स्टॉक के लिए मंजूरी देते समय रेल इंजन या चल स्टॉक की समान श्रेणी के स्वीकृति पत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी शर्तों को शामिल करने पर विधिवत् रूप से विचार किया जाएगा। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के संबंधित डिज़ाइन निदेशालय का प्रमुख किसी भी रेल प्रशासन द्वारा उपयोग के लिए 'व्युपित्रत' रेल इंजन या चल स्टॉक के उपयोग के लिए महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन पत्र में निम्नलिखित शामिल होगा:

- (क) ऐसे डायाग्राम, जैसा आवश्यक हो, एक्सल लोड, व्हील स्पेसिंग, लैंथ ओवर बफ़र तथा रेल इंजन या चल स्टॉक के अन्य मूल आयाम, जिसके लिए स्वीकृति अपेक्षित होती है, का ब्यौरा देते हुए;
- (ख) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा जारी अनंतिम गति प्रमाणपत्र या अंतिम गति प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो;
- (বা) दोलन परीक्षण रिपोर्ट और रिकॉर्ड;
- (घ) बहु परिचालनों के लिए एक साथ जोड़े जाने वाली प्रस्तावित मोटिव शक्ति इकाइयों की अधिकतम संख्या या डीज़ल/विद्युत बहु इकाइयों की अधिकतम संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा।"

(च) नियम 28क में,-

- (i) उप-नियम (1) में, "केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 28 के उपबंधों के अधीन भारतीय रेल पर पहले से चल रहे किसी रेल इंजन या चल स्टॉक के प्रयोग को स्वीकृत कर सकता है:" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार या महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा नियम 28 के उपबंधों के अधीन भारतीय रेल पर पहले से चल रहे किसी रेल इंजन या चल स्टॉक के प्रयोग को स्वीकृत कर सकता है:" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उप-नियम (2) में,-
 - (क) खंड (iii) में, "केंद्रीय सरकार की स्वीकृति" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन की स्वीकृति" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) खंड (iv) के उपखंड (ग) में, शब्द "प्रस्तावित" के पश्चात् "रेल इंजन या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
 - (ग) खंड (iv) के उपखंड (घ) में, शब्द, "जो", के पश्चात् "रेल इंजन या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
 - (घ) खंड (vi) में, शब्द "प्रस्तावित" के पश्चात् "रेल इंजन या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- (iii) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"4क. यदि अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा जारी अंनतिम या अंतिम गित प्रमाणपत्र में यथा विनिर्दिष्ट नए या व्युतपत्रित रेल इंजन या चल स्टॉक के लिए अवसंरचना और परिचालन परिस्थितियाँ वैसी ही है जैसी रेलवे पर पहले से ही उपयोग हो रहे किसी अन्य रेल इंजन या चल स्टॉक की तो महाप्रबंधक की स्वीकृति के लिए उप-नियम (2) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना अपेक्षित नहीं होगा।

परंतु, ऐसे मामलों के अलावा, महाप्रबंधक द्वारा केवल एक अधिसूचना (जिसे स्वीकृति के समतुल्य माना जाएगा) जारी की जाएगी कि रेलवे पर इस रेल इंजन या चल स्टॉक के उपयोग के लिए उसी अवसंरचना और उन्हीं परिचालनिक परिस्थितियों पर अनुमति दी जाती है, जो ऐसे रेल इंजन या चल स्टॉक के लिए पहले से ही अधिसूचित है और यह अधिसूचना, रेलवे पर रेल इंजन या चल स्टॉक के वास्तविक उपयोग के दस दिन अग्रिम में आयुक्त को सूचनार्थ भेजी जाएगी।

- (iv) उप-नियम (5) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या महानिदेशक, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- (छ) नियम 29 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "29. पुलों का परीक्षण नए महत्वपूर्ण या मुख्य पुलों को चालू करने या विद्यमान पुलों से अपेक्षाकृत अधिक भार (लोड) गुजारने की स्वीकृति से पूर्व आयुक्त अध्याय IV में यथा विनिर्दिष्ट भार विस्थापन परीक्षण अथवा दबाव रिकॉर्डर परीक्षण करेगा और पूर्व बिलत कंक्रीट गर्डर या कंपोजिट गर्डर पुल के लिए भी उक्त परीक्षण किया जाएगा और क्षेत्रीय रेल का प्रधान मुख्य इंजीनियर भी नियम 25क में यथा परिभाषित पुलों के निष्पादन और चालू करने की स्वीकृति के लिए उपर्युक्त व्यवहार का अनुसरण कर सकेगा।"

- 10. "सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग स्थापनाओं के लिए आवश्यकताएँ और सिफारिशें" शीर्ष से पहले, "अध्याय VII" शब्द और अक्षरों के स्थान पर, "अध्याय VIII" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।
- 11. उक्त नियमों के अध्याय VIII में, -
 - (क) नियम 32 के उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(1) जब तक कांटा क्षेत्र की निर्बाधता के प्रमाण देने के लिए अन्य अनुमोदित विकल्प की व्यवस्था न हो, तब तक कांटे ऐसे स्थान पर स्थित किए जाएंगे कि उन पर रहने वाले परिचालन, केबिन या अन्य स्थान जहां से वे परिचालित किए जाते हैं, की दृष्टि सीमा में हों।"
 - (ख) नियम 33 में.-
 - (i) उप-नियम (1) में, "अध्याय VII" शब्द और अक्षरों के स्थान पर "अध्याय 7" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम (2) में, "अध्याय VII" शब्द और अक्षरों के स्थान पर "अध्याय 7" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
 - (iii) उप-नियम (3) में, "अध्याय VII" शब्द और अक्षरों के स्थान पर "अध्याय 7 और अध्याय 12" शब्दों और अंक रखे जाएंगे।
 - (ग) ि नियम 37 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - **"37. साधारण –** (1) ब्लॉक उपकरणों की अपेक्षाऐं एवं विनियमन सिगनल भारतीय रेल इंजीनियरी नियमावली के अध्याय 18 के खंड के अनुसार होगा।
 - (2) केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) या यातायात प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी नियमावली के अध्याय 13 के खंड 4 के अनुसार होगा।
- 12. "बिजली कर्षण के लिए उपस्करों के डिजाइन एवं निरीक्षण से संबंधित नियम" शीर्ष से पहले, "अध्याय VIII" शब्द और अक्षर के स्थान पर, "अध्याय IX" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।
- 13. उक्त नियमों के अध्याय IX में, -
 - (क) नियम 38 में,-
 - (i) उप-नियम (1) में, "भारतीय विद्युत नियम, 1956" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय बिजली प्राधिकरण विनियम, 2010" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम (3) में, "भा. मा. 875-64" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भारतीय मानक 875 (भाग-3)-2015 भवनों और अवसंरचनाओं पर पवन भार-2015" शब्दों और अंक रखे जाएंगें।
 - (iii) उप-नियम (7) के टिप्पणी में, "मुख्य बिजली इंजीनियर" शब्दों के स्थान पर "प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर" शब्द रखे जाएंगे।
 - (iv) उप-नियम (10) में, "गेज" शब्द के स्थान पर "ऊंचे गेज" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) नियम 39 के खंड (ञ) में, "25/2 x 25 के.वी." अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 के.वी. या 2x25 के.वी." अंक और शब्द रखे जाएंगे।
 - (ग) नियम 40 में, "25/2 x 25 के.वी." अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 के.वी. या 2x25 के.वी." अंक और शब्द रखे जाएंगें।
 - (इ) नियम 41 में.-
 - (i) उप-नियम (1) में,-
 - (क) खंड (क) में, "25 के.वी./2 x 25 के.वी." अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 के.वी या 2x25 के.वी" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

- (ख) खंड (क) में, "बूस्टर स्टेशनों" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ii) उप-नियम (2) के खंड (क) में, "भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9)" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "बिजली अधिनियम 2003" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- (iii) उप-नियम (3) में,-
 - (क) "25 के.वी./2 x 25" अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 के.वी. या 2 x 25 के.वी." शब्द और अंक रखे जाएंगे।
 - (ख) "बुस्टर ट्रांसफॉर्मर स्टेशनों" शब्दों का लोप किया जाएगा।
- (ङ) नियम 42 में,-
 - (i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-"42. प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर को आवेदन प्रस्तुत करना-"
 - (ii) "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर" शब्द रखे जाएंगे।
- (च) नियम 43 में,-
 - (i) उप-नियम (2) के खंड (i) में, "25/2 के. वी. एसी" अंकों और शब्दों के स्थान पर "25 के.वी या 2x25 के.वी." अंक और शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम (5) में,-
 - (क) खंड (i) में, "आयुक्त द्वारा" के स्थान पर "या क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर द्वारा किसी अन्य उपयुक्त साधन द्वारा" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ख) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:
 "(ii) पूरे निरीक्षण के दौरान एक उत्तरदायी अधिकारी अधिमानत: मुख्य परियोजना प्रबंधक
 या मुख्य बिजली इंजीनियर (निर्माण) तथा बिजली विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के
 अधिकारी क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर के साथ रहेंगे।"
 - (ग) खंड (iii) में, "मंडल रेल प्रबंधक तथा" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (iii) उप-नियम (6) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान पर "क्षेत्रीय रेल के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर" शब्द रखे जाएंगे॥
 - (iv) उप-नियम (7) में, "सिगनल इंजीनियरी नियमावली, भाग-1 के खंड 'द' (आर)" शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर "भारतीय रेल इंजीनियरी नियमावली के अध्याय 22" शब्द और अंक रखे जाएंगे।
- 14. उक्त नियमों की अनुसूची में, शीर्ष में, "इंजीनियरी विभाग" शब्दों के पश्चात् "समय-समय पर यथा उपांतरित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- 15. उक्त नियमों के फार्म X में,-
 - (i) पहले पैरा में, अंकों "112.5" को प्रविष्टियाँ "......" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) पहले पैराग्राफ के बाद, नोट डाला जाएगा, अर्थात्: -"नोट: उक्त स्थान में प्रविष्टि समय-समय पर भरी जा सकती है।"
 - (iii) दूसरे पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

बिजली की आपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सिंगल प्वाईंट यथा एलाईट जहां से रेलवे की अपनी ट्रांसिमशन लाइनें हाथरस, खुर्जा और साहिबाबाद में स्थित सब-स्टेशनों की आपूर्ति के लिए जाती हैं, से ली जाती हैं और प्रत्येक सब-स्टेशन पर दो पावर ट्रांसफार्मर 12.5 एमवीए, 132/25 केवी स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक स्टैंडबाय के रूप में कार्य करता है। फेजों को अलग करने के लिए दो सब स्टेशनों के बीच लंबाई में 41 मीटर न्यूट्रल सेक्शन की मानक व्यवस्था की गई है। सेक्शनिंग और आइसोलेटिंग सुविधाओं से सब

सेक्शनिंग और पैरेललिंग स्टेशन उपलब्ध कराए गए हैं। पावर आपूर्ति स्टेशनों पर सभी स्विचिंग ऑ	परेशन
टुंडला में स्थित एकल रिमोट नियंत्रण केन्द्र से रिमोट नियंत्रित हैं। रिमोट नियंत्रण केन्द्र या पर्यवेक्षी ति	नेयंत्रण
या आंकड़ा प्राप्ति प्रणाली (विनिर्माता) द्वारा प्रदान की गयी है और	प्रकार
(माइक्रोप्रोसेसर या निजी कंप्यूटर आधारित) की है। इसे तक (लक्षित तारीख, यदि रेल	संरक्षा
आयुक्त को आवेदन करते समय चालू नहीं किया गया है) चालू किया जाएगा।	

नोट: रेलवे सैंपल के अनुसार उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराएगा।

मुख्य परियोजना प्रबंधक या मुख्य बिजली इंजीनियर

या

मुख्य बिजली इंजीनियर (निर्माण) ओपन लाइन रेलवे

(परियोजना प्रभारी)

16. उक्त नियमों में, फार्म XI और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित फार्म और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:-

"फार्म XI [नियम 5 के उपनियम(1) का खंड(ट) देखें] बिजली आपूर्ति संस्थापन सार

 .				
खड:	٠.	٠.	 ٠,	

रेलवे:

लंबाई: ... किमी

आमान: 1.676 मीटर

क्रम सं.	स्विचिंग स्टेशनों के प्रकार	कुल संख्या	स्थान और निकटतम रेलवे स्टेशन	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कर्षण सबस्टेशन और फीडिंग स्टेशन	3		
2	सेक्शनिंग और समानांतर स्टेशन	3		
3	सब-सेक्शनिंग और समानांतर स्टेशन	14		
4	सब-सेक्शनिंग स्टेशन	कोई नहीं		
5	एलटी आपूर्ति ट्रांसफार्मर स्टेशन	23	(सूची संलग्न की जाए)	

मुख्य परियोजना प्रबंधक या मुख्य बिजली इंजीनियर

या

मुख्य बिजली इंजीनियर(निर्माण) ओपन लाइन रेलवे"

(परियोजना प्रभारी)

17. उक्त नियमों में, फार्म XII और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित फार्म और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:-

"फार्म XII [नियम 5 के उपनियम(1) का खंड(ठ) देखें] कर्षण अनुरक्षण डिपो सार

खंड:	रेलवेः
लंबाई: किमी	आमान: 1.676 मीटर

क्रम सं.	स्थान	निकटतम रेलवे स्टेशनों के नाम और उनसे दूरी	ओएचई अनुरक्षण कार (टॉवर वैगन) मुहैया कराया गया है या नहीं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	किमी 1370/15-16	हाथरस 2.0 किमी दिल्ली की ओर	हां	-
2	किमी 1454/7-8	शकूर बस्ती 1.5 किमी दिल्ली की ओर	नहीं	-

मुख्य परियोजना प्रबंधक या मुख्य बिजली इंजीनियर या

मुख्य बिजली इंजीनियर(निर्माण) ओपन लाइन रेलवे"

(परियोजना प्रभारी)

18. उक्त नियमों में, फार्म XIII और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित फार्म और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:-

"फार्म XIII [नियम 5 के उपनियम(1) का खंड(ड) देखें] प्रतिबंधित ओएचई क्लिरियेंस सार

खंड:		रेलवेः
लंबाई:	किमी	आमान: 1.676 मीटर

क. ओवरलाइन संरचनाएं

क्रम सं.	ओवरलाइन संरचना का स्थान	संरचना का प्रकार	आरएल से संरचना के नीचे तक क्लियरेंस	संरचना के नीचे कन्टेक्ट वायर की ऊंचाई	क्या संरचना के नीचे/ऊपर कैटेनरी एंकर्ड है या स्वतंत्र रूप से लगा हुआ है।	25 केवी लाइव पार्ट्स और अर्थ के बीच न्यूनतम स्टेटिक क्लियरेंस	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

ख. ओएचई का स्थान जहां विनिर्दिष्ट (2.0 मी) वर्किंग क्लियरेंस उपलब्ध नहीं है

क्रम सं.	स्थान	निकटतम अर्थ पार्ट का प्रकार	लाइव पार्ट और अर्थ के बीच वास्तविक दुरी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	किमी. 1172/3-4 अप लाइन	लाइन पर स्थान 1172/5-6 पर ओएचई संरचना	1.85 मीटर	

मुख्य परियोजना प्रबंधक या मुख्य बिजली इंजीनियर

या

मुख्य बिजली इंजीनियर(निर्माण) ओपन लाइन रेलवे"

(परियोजना प्रभारी)

19. उक्त नियमों में, फार्म XIV और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित फार्म और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात:-

"फार्म XIV [नियम 5 के उपनियम(1) का खंड (ढ) देखें] रेलपथ पर विद्युत क्रॉसिंग सार

खंड:

लंबाई:किमी

रेलवे

आमान: 1.676 मीटर

क्र.सं.	स्थान	वोल्टेज सहित संक्षिप्त तकनीकी विवरण	गार्ड के साथ या गार्ड के बिना	के स्वामित्व वाले	क्या विद्युत क्रॉसिंग के लिए विनियम के अनुसार क्लियरेंस	टिप्पणियां
(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	उपलब्ध है	
4		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1321/3-4	तीन फेज एकल सर्किट	बिना गार्ड के	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	नहीं	विनियमों के खंड 22 के अनुसार दी गई छूट। रेल स्तर से सबसे नीचे वाले कंडक्टर की ऊंचाई 11.4 मीटर है।
2	1327/13/14	स्टेशन क्षेत्र के अंदर डबल सर्किट तीन फेज 11 केवी	गार्ड के साथ	अलीगढ़ विद्युत आपूर्ति	हों	

मुख्य परियोजना प्रबंधक या मुख्य बिजली इंजीनियर

या

मुख्य बिजली इंजीनियर(निर्माण) ओपन लाइन रेलवे"

(परियोजना प्रभारी)

- 20. उक्त नियमों के फार्म XV में, क्रम संख्या 59 के सामने, कॉलम (2) में, "अध्याय VIII" शब्दों के स्थान पर, "अध्याय IX" शब्द रखे जाएंगे।
- 21. उक्त नियमों के फार्म XVI में,
 - (क) क्रम संख्या (vii) का लोप किया जाएगा।
 - (ख) टिप्पणी का लोप किया जाएगा।
- 22. उक्त नियमों में, फॉर्म XVI के पश्चात्, "फॉर्म XVI क" और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित किए जाऐंगे, अर्थात्:-

"फॉर्म XVI क

[नियम 3 का परंतुक देखें] प्रधान मुख्य अभियंता द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूँ:-

- (i) िक संलग्न विवरण में दिए गए अपवादों सिहत भारत में रेलों के लिए प्रत्येक मामले में अधिकतम आयामों का पालन किया गया है। तथा भविष्य में मानक आयामों का पालन किया जाएगा, तथा मानक आयामों का उल्लंघन करने वाली संरचनाओं की केंद्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना एततपश्चात अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (ii) कि प्रत्येक पुल का डिजाइन, आयाम तथा संरचना इस प्रकार की है कि वह (फर्श, सड़क, रेलपथ आदि सहित संपूर्ण) संरचना का पुल भार उठाने में सक्षम है और इसके अतिरिक्त संरचना के किसी भाग या अवयव में उपलब्ध ट्रैक पर अधिकतम अनुमेय प्रतिबल का अतिक्रमण किए बिना रेलवे पुलों के मानक डिजाइन और भार हेतु निर्धारित नियमों में विनिर्दिष्ट प्रचलन भार के बराबर भार उठाने में सक्षम है।
- (iii) कि किसी भी पुल के एक तरफ के उसी ट्रैक पर किसी भी परिस्थिति में एक ही समय में दो इंजनों से अधिक इंजनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) िक रेलवे में डाक तथा सवारी गाड़ियों में प्रयोग के लिए प्राप्त या निर्मित प्रत्येक कोचिंग वाहन में वैक्यूम//वायु ब्रेक है तथा यात्रियों, गार्ड तथा चालक के मध्य प्रभावशाली संचार साधन उपलब्ध कराया जाएगा।

 टिप्पणी:- यह प्रमाण-पत्र उन हल्की लाइनों के लिए आवश्यक नहीं है जिन पर वैक्यूम या वायु ब्रेक के प्रयोग पर जोर नहीं दिया गया है।
- (v) कि प्रत्येक यात्री गाड़ी के द्वितीय श्रेणी डिब्बे का एक कंपार्टमेंट, या बर्थ अथवा सीटों की ऐसी संख्या जैसा रेलवे प्रशासन उचित समझे, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
- (vi) िक रेलवे भारतीय रेल के साधारण नियम के खंड अध्याय- VIII में विहित विनियमों के अनुसार एब्सोल्यूट ब्लॉक प्रणाली के रूप में प्रचलित प्रणाली को संचालित करेगी।

 टिप्पणी:- ऐसे मामलों का ब्यौरा जिसमें न्यूनतम तथा अधिकतम आयाम का उल्लंघन हुआ है, प्रत्येक मामले का पूर्ण विवरण संलग्न फार्म (फार्म XVII) में दर्शाया जाएगा और ऐसे उल्लंघन की आवश्यकता को स्पष्टीकरण तथा किस प्राधिकार से किया गया है, उसका संदर्भ दिया जाएगा। यदि न्यूनतम और अधिकतम आयामों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो "संलग्न विवरण में उल्लिखित अपवादों सहित" शब्दों का लोप कर देना या काट देना चाहिए।
- (vii) कि सिगनल तथा दूरसंचार उपकरणों की संस्थापना अनुमोदित निर्देशों के अनुसार की गई है तथा वे यातायात संचलन के लिए सुरक्षित हैं।
- (viii) कि रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किए जाते समय श्री को उनके साथ जाने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा उसके द्वारा दी गई सभी सूचनाएं या उसके द्वारा किए गए सभी कार्य मेरे प्राधिकार के अंतर्गत किए गए माने जाएंगे।

- 23. उक्त नियमों के परिशिष्ट "ख" में, "सिगनल-व्यवस्था और अंतर्पाशन संस्थापनों के लिए प्रश्नोत्तरी" शीर्ष के अधीन, उप-शीर्षक "III. रेल पथ का निरीक्षण" के अधीन, क्रम संख्या 2 के खंड (ख) में, शब्द "विवरण" के स्थान पर, "डिरेल्स" शब्द रखा जाएगा;
- 24. उक्त नियमों के शीर्ष 'ख. पावर से संचालित होने वाले कांटों तथा सिग्नलों के लिए अतिरिक्त प्रश्नोत्तरी, -
 - (क) उपशीर्ष I सिग्नल के अधीन,-
 - (i) क्रम संख्या 4 में, "मोटर कम्यूटेटरों को छोड़कर" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (ii) क्रम संख्या 7 का लोप किया जाएगा।
 - (ख) उपशीर्ष II कांटें के अधीन.-
 - (i) क्रम संख्या 3 में, "बैंक" शब्द के स्थान पर, "क्रैंक हैंडल" शब्द रखा जाएगा।
 - (ii) क्रम संख्या 4 में, "मोटर कम्यूटेटरों को छोड़कर" शब्दों का लोप किया जाएगा।
 - (iii) क्रम संख्या 5 में, "साथ" शब्द के स्थान पर "बिना" शब्द रखा जाएगा।
 - (iv) क्रम संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या को रखी जाएगी, अर्थात्:"7. जब कोई ट्रेन उनके ऊपर से गुजर रही हो तो पॉइंट्स की आवाजाही को रोकने के लिए, क्या ट्रैक सर्किट लॉकिंग के साथ पॉइंट प्रदान किए जाते हैं?
 - (ग) उपशीर्ष IV. केबल तथा सर्किट के अधीन, क्रम संख्या 1 में, "सीलबंद" शब्द के पश्चात्, "या तालाबंद" शब्द अतं:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. : 70/डब्ल्यू डी ओ/ओ आर आई/आर ओ/1/वॉल्यूम.IX]

रूप नारायण सुनकर, सदस्य अवसंरचना और पदेन सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 625(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और उसमें 1 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 945(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किए गये थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

- G.S.R. 321(E) —In exercise of the powers conferred by section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, namely:-
- (1) These rules may be called the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules), in the opening portion, for the words and figures "sections 28, 29 and 198", the word and figures "section 198" shall be substituted.
- 3. In Chapter I of the said rules, in rule 2,-
 - (i) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-
 - '(ia) "Important bridges" means those bridges having a linear waterway of 300 metres or a total waterway of 1000 sqm or more and those classified as important by the Chief Engineer or Chief Bridge

Engineer, depending on considerations such as depth of waterway, extent of river training works and maintenance problems;';

- (ii) after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:-
 - '(ja) "Major bridges" means those bridges having a total linear waterway of 18 metres or more or having a clear opening of 12 linear metres or more in any one span;
 - '(jb) "Minor bridges" means those bridges which are neither "Important bridges" nor "Major bridges";'.

4. In Chapter II of the said rules,-

- (i) for rule "1.", rule "3." thereof shall be renumbered and in rule 3, as so renumbered, sub-rules 2 and 3 occurring after sub-rule (1) shall be substituted as sub-rules (2) and (3) respectively.
- (ii) after sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "Provided that, the following matters are not required to be referred to the Commissioner, as specified in Form XVI A, namely:-
 - (a) construction, rebuilding, modification and strengthening of foot-over-bridges and road overbridges;
 - (b) construction, rebuilding, regirdering and strengthening of minor bridges;
 - (c) regirdering and strengthening of all existing bridges, other than minor bridges;
 - (d) elimination of manned level crossing;
 - (e) upgradation of Level crossing, including interlocking outside station limits;
 - (f) introduction of Electric Traction; and
 - (g) work related to Dedicated Freight Corridor."
- (iii) after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "4A. Supply of documents to Principal Chief Engineer or Principal Chief Electrical Engineer or Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer For matters specified in proviso to rule 3, documents mentioned in rule 4 as relevant to specific matter, shall be submitted to the Principal Chief Engineer or Principal Chief Engineer or Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer of Zonal Railway by concerned Senior Administrative Grade officer, as the case may be."
- (iv) in rule 5,-
 - (a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
 - "5. Contents of documents to be supplied to Commissioner"
 - (b) clauses (j), (k), (l) and (m) of sub-rule (1) shall be omitted.
 - (c) clause (d) of sub-rule (2) shall be omitted.
 - (d) sub-clause (vii) of clause (a) of sub-rule (4) shall be omitted.
 - (e) sub-rule (7) shall be omitted;
- (v) after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "5A. Contents of documents to be supplied to the Principal Chief Engineer or Principal Chief Electrical Engineer or Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer of Zonal Railways The documents referred to in rule 4A shall contain the details as specified below-
 - (1) tabulated details which shall consist of important characteristics of the railway or a portion of railway to be opened for public carriage of passengers and in particular include,
 - (a) gradient abstract as specified in Form II;
 - (b) bridge abstract as specified in Form III;
 - (c) ballast and permanent way as specified in Form V;

- (d) level crossing abstract as specified in Form IX;
- (e) brief particulars of traction installations as specified in Form X;
- (f) power supply installation abstract as specified in Form XI;
- (g) traction maintenance depot abstract as specified in Form XII;
- (h) restricted over head equipment clearances abstract as specified in Form XIII; and
- (i) electrical crossing over railway track abstract as specified in For XIV.
- (2) The Index Plan and Section sheet shall be prepared as laid down in paragraphs 443 to 451 of the Indian Railways Code for the Engineering Department as mentioned below-
 - (a) completion drawings of bridges, with drawings showing each type of girders used and giving the loading standard for which each is designed, and (if called for by the Principal Chief Engineer, Zonal Railway), details of the calculations of their strength; and
 - (b) implantation of diagrams of over head equipment masts, if applicable.
- (3) The list of Questions and Answers shall be prepared in terms of questions enlisted in Form XV.
- (4) The certificates of works as per contents mentioned in Form 'XVI A' by Chief Engineer containing the comments on the following items applicable to specific matter mentioned in proviso to rule 3, namely: -
 - (i) maximum and minimum dimensions;
 - (ii) strength of bridges;
 - (iii) number of engines on one span;
 - (iv) brake and communications;
 - accommodation in coaches to cater for different categories of passengers;
 - (vi) system of working;
 - (vii) electric traction equipment (only if applicable); and
 - (viii) types of rolling stock proposed along with list of restrictions.
- (5) The list of infringements of maximum and minimum dimensions shall be prepared in Form XVII and shall show the gauge of the railway and items infringed and shall contain full explanation for the infringement and the reference to the authority under which the infringement is permitted or allowed.
- (6) The working orders to be enforced at each station on the railway to be opened shall be prepared in accordance with the rules provided in Chapter V of the General Rules and shall specify any special conditions that are required to be met with.
- (7) Where it involves introduction of electric traction on the railway line the working orders shall include traction working rules.

5. In Chapter III of the said rules,-

- (i) in sub-rule (1) of rule 6, after the words "before inspection", the words "by Commissioner" shall be inserted.
- (ii) in sub-rule (2) of rule 7, for the word "bridges", the words "important or major bridges" shall be substituted.
- (iii) in rule 8, for the word "bridges", the words "important or major bridges" shall be substituted.
- (iv) in sub-rule (4) of rule 10, for the words "bridges", the words "important or major bridges" shall be substituted.

6. In Chapter IV of the said rules,-

- (a) in rule 16,-
 - (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
 - "16. Inspection of railway important or major bridges"
 - (ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) The Commissioner shall satisfy himself that the railway's important or major bridges and other elevated structures of the railway proposed to be opened for public carriage of passengers are designed and constructed as to the loads specification specified in the Indian Railways Standard Bridges Rules, 1964 with upto date Addendum and Corrigendum slips or latest version and other relevant code, and that the loads specification and stress limits are not exceeded.
 - (iii) in sub-rule (3), for the letters, words and figure "IRS Bridge Rules, 1964", the words an figure "Indian Railways Standard Bridges Rules, 1964 with upto date Addendum and Corrigendum slips or latest version" shall be substituted.
- (b) for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:-
 - **"17. Procedure for inspection of important or major bridges** (1) The Commissioner shall examine at least one important or major bridge of each different pattern or type and satisfy himself about the adequacy with reference to safety of -
 - (a) the general design of the bridge;
 - (b) designs of different parts or portions of the bridge;
 - (c) the construction and erection of the whole structure of the bridge;
 - (d) girder spans and their bedding at all four supports; and
 - (e) type and design of bearings
 - (2) Whether the Commissioner feels that it is necessary for the purpose of inspection and to see whether any riveting or bolting has been properly and efficiently executed, he may order the cutting out any rivets or opening of bolts and may also order the dismantling of any part of the structure of the bridge for more detailed examination.
 - (3) If the Commissioner considers it necessary, in addition to the certificate of a Bridge Engineer employed for the purpose, he can call for the load deflection test under the loads for which the bridge is designed and where this is not possible under the heaviest loads available.
 - (4) (a) When making card deflection test, the test cards are to be placed at right angles to the centre line of the track, in order to record oscillation and the recording pencil point should be as fine as possible and the load deflection test may also be carried out by any other suitable method or latest technology available for this purpose, apart from card deflection test.
 - (b) When central deflection is measured, the allowance shall be made for the deflection, if any, of the abutments or piers.
 - (5) In order to record the static deflection, the test shall be carried out at dead slow speed and at the maximum permissible speed of the section and the speed shall be carefully measured by stopwatch or by some automatic means.
 - (6) The Bridge Engineer shall submit actual deflection cards to the Commissioner together with a statement of deflections and oscillations in Form XVIII.
 - (7) The deflection of the girder shall be worked out theoretically and shall be shown in column 12 of Form XVIII to enable a comparison being made with the observed deflection.
 - (8) In addition to the load deflection test, the Commissioner may, require stress recorder test to be carried out on any bridge girder, if results of load deflection tests are not satisfactory.
 - (9) (a) The stress recorder test shall be carried out with a stress recorder of approved type.

- (b) The tests loads and speeds shall be as specified for load deflection tests.
- (c) The tests shall be taken, on the chords or flanges at mid span and on such web and floor members as the Commissioner shall specify.
- (d) If a sufficient number of instruments are available, these tests shall be made simultaneously.
- (10) The stress recorder diagrams together with calculations showing how the maximum stress under the design load with full impact (including dead load stresses) is deduced from the measured stress shall be submitted by Bridge Engineer to the Commissioner who shall, before sanctioning the opening of the bridge, satisfy himself that the stresses in the girders shall not exceed those specified in the Indian Railway Standard Steel Bridge Code, 1962 with upto date Addendum and Corrigendum slips or latest version and other relevant codes.
- (11) If the Commissioner is satisfied that the girder has been properly designed for the work it is intended to perform, then, bridge girders are not required to be tested.
- (12) New steel girders and steel-concrete composite girders of standard designs need not be tested if those girders were inspected at the time of their manufacture by the Research, Design and Standards Organisation or any other inspecting agency engaged by Chief Bridge Engineer of concerned railway, and a certificate of satisfactory erection including the seating of the bearings and field riveting or bolting has been given:
 - Provided that the new concrete bridges need not be tested if load testing is not required to be conducted as per provisions of Indian Railway Standard Concrete Bridge Code, 1997 with upto date Addendum and Corrigendum slips or latest version and other relevant codes.
- (13) The Commissioner may decide that the second hand plate girders are not required to be tested if he is satisfied that,-
 - (i) the girder is strong enough for the work it is intended to perform; and
 - (ii) the responsible officer of the concerned railway has certified that the condition of the material and workmanship are such that the use of the girder for the specified loading shall not involve stresses in excess of those permitted in the Indian Railway Standard Steel Bridge Code, 1962 with upto date Addendum and Corrigendum slips or latest version and other relevant codes.
- (14) The Commissioner may have test of any number of spans made and may have a span tested any number of times and at any speeds as he considers necessary, up to the maximum permissible speed of the section of the railway.
- (15) The load deflection test may be carried out for non-standard bridge girders which are fabricated or constructed for the first time (need not be tested, if girder is already under use in some other bridge over Indian Railways and given satisfactory performance) and results of such tests shall be supplied to Commissioner.
- (16) The Commissioner may examine any non-standard bridge girders, which is fabricated or constructed for the first time.
- (17) The Commissioner shall be supplied with a certificate from the engineer (not below the rank of Junior Administrative Grade) responsible for design and construction of the bridge to the effect that welds have been designed in accordance with the Indian Railway Standard Welded Bridge Code, 2001 with upto date Addendum and Corrigendum slips or latest version and other relevant codes and executed to the satisfaction of the said engineer.
- (18) If radiographic examination of the welds is specified in the drawing or procedure sheet or is required to be done in accordance with the provisions of the Indian Railway Standard Welded Bridge Code, 2001 with upto date Addendum and Corrigendum slips or latest version and other relevant codes, the results of such examination shall be annexed to the certificate."
- 7. In Chapter V of the said rules, in rule 19, the Explanation shall be omitted.

8. In Chapter VI of the said rules,-

- (a) in rule 21,-
 - (i) in sub-rule (2), for the words "sanctioning of", the word "modifying" shall be substituted.
 - (ii) in sub-rule (6), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-"Explanation: In these chapters new lines of railway shall include extensions of existing railways, new double, treble or other running lines laid alongside existing lines and conversion from one gauges to another".
 - (iii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(7) For Introduction of Electric Traction:-
 - (a) 25kv ac charging of section for railway electrification work for existing lines or new lines or gauge conversion lines or doubling lines or Multiple lines and energisation of any high tension installation in this regard shall be done with the approval of Electrical Inspector as provided under the Electricity Act, 2003;
 - (b) the competent authority to grant sanction to open the section with electric traction for above mentioned works shall be Principal Chief Electrical Engineer of Zonal Railway, with no further delegation."
- (b) in rule 22, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"22. Opening of Railways by Commissioner-"

9. In Chapter VII of the said rules,-

- (a) in sub-rule (1) of rule 24, after the words "that railway,", the words and figure "except work mentioned in proviso to rule 3," shall be inserted.
- (b) in rule 25,-
 - in sub-rule (1), after the words "passenger traffic,", the words and figure "except work mentioned in proviso to rule 3," shall be inserted;
 - (ii) in sub-rule (3), after the words "any work,", the words and figure "except work mentioned in proviso to rule 3," shall be inserted;
- (c) after rule 25, the following rule shall be inserted, namely:-

"25A.Opening of works specified under sub-rule (3) of rule 3,-

- (1) For items:
 - (a) construction, rebuilding, modification and strengthening of foot-over-bridges and roadover-bridges;
 - (b) construction, rebuilding, regirdering and strengthening of minor bridges;
 - (c) regirdering and strengthening of all existing bridges, other than minor bridges;
 - (d) elimination of manned level crossing;
 - (e) upgradation of non-interlocked level crossing and diversion of roads at level crossings, competent authority to grant sanction to execute and open works shall be Principal Chief Engineer of zonal railway, with no further delegation.
- (2) For upgradation of interlocked level crossing, including interlocking outside station limits, the competent authority to grant sanction to execute and open works shall be Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer of zonal railway, with no further delegation."
- (d) in rule 27,-
 - (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) No railway important or major bridge shall be erected or opened to traffic, without the sanction of the Commissioner even though it is able to carry the loads without exceeding the stresses prescribed in the relevant Codes of Practice or in the absence of any such reference, the design criteria approved by the Central Government.";

- (ii) in sub-rule (2), for the word "bridge", the words "important or major bridge" shall be substituted.
- (iii) in sub-rule (3), for the word "bridge", the words "important or major bridge" shall be substituted.
- (iv) after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
 - "(4) No Railway minor bridge shall be erected or opened to traffic and no railway bridge (important or major and minor) shall be reopened to traffic, after regirdering and strengthening, without the sanction of the Principal Chief Engineer of Zonal Railway even though it is able to carry the loads without exceeding the stresses prescribed in the relevant Codes of Practice or in the absence of any such reference, the design criteria approved by the Central Government.
 - (5) No load shall be imposed on any railway bridge defined in sub-rule (4) which would cause in any member thereof stresses greater than those specified in sub-rule (4), without the sanction of the Principal Chief Engineer of Zonal Railway.
 - (6) Closure of an existing minor bridge shall require the sanction of the Principal Chief Engineer of Zonal Railway."

(e) in rule 28,-

- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
 - "28. Introduction of new types of locomotives or rolling stock -"
- (ii) in sub-rule (1), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-
 - "Explanation: For the purposes of this sub-rule, any increase in sanctioned maximum speed of existing locomotives or rolling stock beyond the maximum speed sanctioned by Railway Board for similar type stock already running in the same category (Locomotives or Trainset including Electric Multiple Unit, Mainline Electric Multiple Unit or Coaches or Wagons or Track Machine or Cranes or Over Head Equipments Inspection Cars or any other category), shall be treated as introduction of new types of locomotives or rolling stock."
- (iii) in clause (a) of sub-rule (2), after the words "dimensions of the", the words "locomotive or" shall be inserted.
- (iv) in clause (c) of sub-rule (2), after the words "power units", the words "or the maximum number of diesel or electric multiple units" shall be inserted.
- (v) in sub-rule (4),
 - (A) after the words "type of", the word "locomotive" shall be inserted
 - (B) after the words "track shall be", the word "inducted" shall be inserted.
- (vi) in sub-rule (5), after the words "locomotives", the words "or rolling stock," shall be inserted.
- (vii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(6) A locomotive or rolling stock shall be considered new, if it is different from those already running on any section or division of railway administration:

Explanation: A locomotive or rolling stock having larger principal dimensions (>5%) or more infringements or higher maximum design axle load (>2%) or higher maximum design track loading density (>2%) or different basic bogie design or new design of braking system other than currently in use over Indian Railways or different kind of operation or different system of operation and control over the rolling stock or with proposed maximum speed more than the maximum speed of those similar type stocks already running in the same category (Locomotives or Trainset including Electric Multiple Unit, Mainline Electric Multiple Unit or Coaches or Wagons or Track Machine or Cranes or Over Head Equipments Inspection Cars or any other category), shall be regarded as new rolling stock. Any other rolling stock shall be termed as "Derived" stock.

(viii) After sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6A) Sanction for introduction of a locomotive or rolling stock which is not considered new and termed as 'Derived', as per the criteria mentioned in sub-rule (6) of rule 28, shall be accorded by Director General, Research, Design and Standards Organisation and while issuing sanction for such 'Derived' locomotive or rolling stock, inclusion of conditions issued by Central

Government in sanction letter of similar type, in same category, of locomotive or rolling stock, shall be duly considered. Head of concerned design directorate of Research, Design and Standards Organisation shall apply, for introduction of 'Derived' locomotives or rolling stock for use by any railway administration, to Director General, Research, Design and Standards Organisation and the application shall be accompanied by-

- such diagrams as may be necessary to give full particulars of the axle loads, wheel spacing, length over buffers and other principal dimensions of the locomotive or rolling stock for which sanction is required;
- (b) provisional speed certificate or final speed certificate, as the case may be, issued by the Research, Design and Standards Organisation;
- (c) the oscillation trial reports and records
- (d) the maximum number of motive power units or the maximum number of diesel or electric multiple units proposed to be coupled together for multiple operation shall be specifically mentioned."

(f) in rule 28A,-

- in sub-rule (1), after the words "by the Central Government", the words "or Director General, Research, Design and Standards Organisation" shall be inserted.
- (ii) in sub-rule (2),-
 - (a) in clause (iii), after the words "the Central Government", the words "or Director General, Research, Design and Standards Organisation" shall be inserted.
 - (b) in sub-clause (c) of clause (iv), after the word "proposed", the words "locomotive or" shall be inserted.
 - (c) in sub-clause (d) of clause (iv), before the words "rolling stock", the words "locomotive or" shall be inserted.
 - (d) in clause (vi), after the word "proposed", the words "locomotive or" shall be inserted.
- (iii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"4A. If infrastructure and operating conditions, for a new or derived locomotive or rolling stock, as specified in the Provisional or Final Speed Certificate issued by Research, Designs and Standards Organisation, are same as that for any other locomotive or rolling stock already running on the Railway, process mentioned in sub-rule (2) for sanction of General Manager shall not require to be followed:

Provided that instead, in such cases, only a notification (which will be considered at par with the sanction) shall be issued by the General Manager that permission is given for use of this locomotive or rolling stock on the Railway on the same infrastructure and operating conditions as already notified for such locomotive or rolling stock and this notification shall be sent to the Commissioner for his information ten days in advance of the actual use of locomotive or rolling stock over the railway.

- (iv) in sub-rule (5), the words "or Director General, Research, Design and Standards Organisation" shall be inserted after the words "the Central Government".
- (g) for rule 29, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "29. Testing of bridges Before sanctioning the open of new important or major bridges or the running of heavier loads over existing bridges, the Commissioner may require load deflection or stress recorder test to be carried out as specified in Chapter IV and tests on pre stress concrete girder or composite girder bridge may also be carried out and the Principal Chief Engineer of Zonal Railway may also follow the above practice for sanction to execute and open bridges as defined in rule 25A."

10. Before the heading "REQUIREMENTS AND RECOMMENDATIONS FOR SIGNALLING AND INTERLOCKING INSTALLATIONS", for the words and letters "CHAPTER VII", the words and letters "CHAPTER VIII" shall be substituted.

11. In Chapter VIII of the said rules,-

- (a) in rule 32, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) The points shall be so located that movements over them shall be within the view of the cabin or the location from which they are worked unless and approved alternative arrangement for proving clearance of point zone is provided."
- (b) in rule 33,-
 - (i) in sub-rule (1), for the word and letters "Chapter VII", the word and figure "Chapter 7" shall be substituted.
 - (ii) in sub-rule (2), for the word and letters "Chapter VII", the word and figure "Chapter 7" shall be substituted.
 - (iii) in sub-rule (3), for the word and letters "Chapter VII", the words and figure "Chapter 7 and Chapter 12" shall be substituted.
- (c) for rule 37, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "37. General (1) The requirements and regulation of Block Instruments shall be in accordance with section of Chapter 18 of the Indian Railways Signal Engineering Manual.
 - (2) The requirements of Centralised Traffic Control (CTC) or Traffic management system shall be in accordance with section 4 of Chapter 13 of the Indian Railways Signal Engineering Manual."
- Before the heading "RULES FOR THE DESIGN AND INSPECTION OF EQUIPMENT FOR ELECTRIC TRACTION", for the words and letters "CHAPTER VIII", the words and letters "CHAPTER IX" shall be substituted.

13. In Chapter IX of the said rules,-

- (a) in rule 38,-
 - (i) in sub-rule (1), for the words and figure "Indian Electricity Rules, 1956", the words and figure "Central Electrical Authority Regulation 2010" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (3), for the letters and figures "IS 875-64", the words, figures and brackets "Indian Standard 875 (part-3)-2015 Wind Loads on Buildings and Structures-2015" shall be substituted;
 - (iii) in sub-rule (7), in Note, for the words "The Chief Electrical Engineer", the words "The Principal Chief Electrical Engineer" shall be substituted;
 - (iv) in sub-rule (10), for the word "gauges", the words "height gauges" shall be substituted;
- (b) in rule 39, in clause (j), for the figures and letters "25/2 x 25 KV caution", the figures and letters "25kV or 2x25 kV caution" shall be substituted;
- (c) in rule 40, for the figures and letters "25/2 x 25 KV", the figures and letters "25kV or 2x25 kV" shall be substituted;
- (d) in rule 41,-
 - (i) in sub-rule (1),-
 - (A) in clause (a), for the figures and letters "25kv/2 x 25 kv", the figures, letters and word "25kV or 2 x 25kV" shall be substituted;
 - (B) in clause (a), the words "booster stations," shall be omitted;
 - (ii) in clause (a) of sub-rule (2), for the words, figure and brackets "the Indian Electricity Act, 1910
 (9 of 1910)", the words and figures "The Electricity Act, 2003" shall be substituted;
- (iii) in sub-rule (3),-

- (A) for the figures and letters "25KV/2 x 25", the figures, letters and word "25kV or 2 x 25kV" shall be substituted;
- (B) the words "booster transformer stations" shall be omitted;
- (e) in rule 42,-
- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
 - "42. Submission of application to Principal Chief Electrical Engineer -"
- (ii) for the word "Commissioner", the words "Principal Chief Electrical Engineer of Zonal Railway" shall be substituted;
- (f) in rule 43,-
- (i) in clause (i) of sub-rule (2), for the figures and letters "25/2 KV AC", the figures and letters "25kV or 2 x 25kV" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (5),-
- (a) in clause (i), for the words "by the Commissioner", the words "or by any other suitable means by the Principal Chief Electrical Engineer of Zonal Railway" shall be substituted;
- (b) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(ii) A responsible officer preferably the Chief Project Manager or the Chief Electrical Engineer (Construction) and Senior Administrative Grade officer of Electrical Department should accompany the Principal Chief Electrical Engineer of Zonal Railway throughout the inspection."
- (c) in clause (iii), the words "the Divisional Railway Manager and" shall be omitted;
- (iii) in sub-rule (6), for the word "Commissioner", the words "Principal Chief Electrical Engineer of Zonal Railway" shall be substituted;
- (iv) in sub-rule (7), for the words and letters "section 'R' of the Signal Engineering Manual, Part I", the words and figure "Chapter 22 of Indian Railways Engineering Manual" shall be substituted;
- 14. In SCHEDULE of the said rules, in heading, after the words "Engineering Department", the words "as modified from time to time" shall be inserted.
- 15. In Form X of the said rules,-

(iii)

- (i) in the first paragraph, for the words and figures "as 112.5", the entries "....." shall be substituted.
 - (ii) after first paragraph, the Note shall be inserted, namely:-
 - "Note: The entry in the said space may be filled by time to time."

 for the second paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:-

Note: The Railway will provide suitable information as per sample.

Chief Project Manager or

OR

Chief Electrical Engineer (Construction)

Chief Electrical Engineer

Open Line Railway"

(In-charge of Project)

16. In the said rules, for Form XI and entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely:-

"FORM XI

[See clause (k) of sub-rule (1) of rule 5]

POWER SUPPLY INSTALLATION ABSTRACT

SECTION:	RAILWAY:
LENGTH:KM	GUAGE: 1.676 m

Sl. No.	Type of Switching Stations	Total Nos.	Location and Nearest Railway Stations	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Traction substation and feeding stations	3		<u> </u>
2	Sectioning and paralleling stations	3		<u> </u>
3	Sub-sectioning and paralleling stations	14		
4	Sub-sectioning stations	Nil		
5	LT Supply transformer stations	23	(List to be attached)	

Chief Project Manager or Chief Electrical Engineer OR

Chief Electrical Engineer(Construction)
Open Line Railway"

(In-charge of Project)

LENGTH:....KM

17. In the said rules, for Form XII and entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely:-

"FORM XII [See clause (I) of sub-rule (1) of rule 5]

TRACTION MAINTENANCE DEPOT ABSTRACT

SECTION:	RAILWAY:

SI. No.	Location	Name of the nearest Railway stations and distance therefrom	Whether with OHE maintenance car (tower wagon provided or not	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Km 1370/15-16	Hathras 2.0 kms towards Delhi	Yes	-
2	Km 1454/7-8	Sakur Basti 1.5 km towards Delhi	No	•

Chief Project Manager or

OR

Chief Electrical Engineer(Construction)

GUAGE: 1.676 m

Chief Electrical Engineer

Open Line Railway"

(In-charge of Project)

18. In the said rules, for Form XIII and entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely:-

"FORM XIII [See clause (m) of sub-rule (1) of rule 5]

RESTRICTED OVER HEAD EQUIPMENT CLEARANCES ABSTRACT

SECTION:

RAILWAY:

LENGTH:

KM

GUAGE: 1.676 m

A. Overline Structures

S. No.	Location of Overline Structure	Type of Structure	Clearance from R.L. to Bottom of Structure	Height of Contact wire below the structure	Whether Catenary is anchored or Freely Running Below/Above the Structure	Minimum Static Clearance between 25 KV Live Parts & Earth	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

B. Location of OHE where specified (2.0m) working clearance are not available

S.No	Location	Type of nearest earthed part	Actual distance between live part and earth	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Km. 1172/3-4 Up line	OHE structure at location 1172/5-6 On line	1.85 m	

Chief Project Manager or

OR

Chief Electrical Engineer(Construction)

Chief Electrical Engineer

Open Line Railway"

(In-charge of Project)

19. In the said rules, for Form XIV and entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely:-

"FORM XIV [See clause (n) of sub-rule (1) of rule 5]

ELECTRICAL CROSSING OVER RAILWAY TRACKS ABSTRACT

SECTION:....

RAILWAY:

LENGTH:...KM

GUAGE: 1.676 m

S.No.	Location	Brief Tech. Particulars Including voltage	Whether with Guards OR w/o Guards	Owned by	Whether clearance as per the regulation for Electrical Crossing available	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1321/3-4	Three phase	w/o guards	Uttar Pradesh State	No	Relaxation given in terms

		single circuit		Electricity Board		of cl. 22 of the regulation. The height of lowest conductor from Rail level is 11.4M
2	1327/13/14	Double circuit three phase I1 KV inside station area	With guards	Aligarh Electric Supply	Yes	

Chief Project Manager or

OR

Chief Electrical Engineer(Construction)

Chief Electrical Engineer

Open Line Railway"

(In-charge of Project)

- In Form XV of the said rules, against serial number 59, in column (2), for the word and letters "Chapter VIII", the word and letters "Chapter IX" shall be substituted.
- 21. In Form XVI of the said rules,
 - (a) serial number (vii) shall be omitted.
 - (b) Note shall be omitted.
- 22. In the said rules, after Form XVI, the "Form XVI A and entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

"FORM XVI A [See proviso to rule 3] CERTIFICATES TO BE GIVEN BY THE PRINCIPAL CHIEF ENGINEER

I do hereby certify:-

- (i) that the Maximum Dimensions for railway in India have in every case been worked to, with the exceptions detailed in the statement herewith annexed*
 - Also, that the Standard Dimensions will be observed in future, and that no work or structure infringing the Standard Dimensions will hereafter be permitted without the sanction of the Central Government.
- (ii) that each bridge is of such design, dimensions and construction as will enable it to bear the dead load of the structure itself (with flooring, roadway, permanent way etc. complete), and in addition thereto, the equivalents of the live loads specified in the rules prescribing Standards of the Design and loading for Railway bridges, without exceeding the maximum permissible stress on the available material in any member or portion of the structure.
- (iii) that more than two engines shall not under any circumstances be allowed at one time on the same track of one span of any bridge.
- (iv) that every coaching vehicle constructed or procured for the use of the railway in mail and passenger trains is, and shall be provided with vacuum/air brake and effective means of communication between passengers, guard and driver
 - Note: This item of certificate is not necessary for those light lines on which the use of vacuum or air brake has not been insisted upon.
- (v) that one compartment or such number of berth or seats, as the railway administration may think fit, of a second class carriage of every train carrying passengers shall be reserved for the exclusive use of females.
- (vi) that the railway shall be worked on the system known as Absolute Block System in accordance with the regulations prescribed in section Chapter VIII of the General Rules for Railways in India.

Note: In the statement showing the cases in which the Maximum and Minimum dimensions have been infringed full details for each case must be given, in the form attached (Form XVII) with explanation of the necessity for such infringements and a reference to the authority under which it was permitted. If there have been no infringements of the Maximum and Minimum Dimensions the words, "with the exception detailed in the statement herewith annexed", should be omitted or stuck out.

- (vii) That the signaling and telecommunication equipment have been installed in accordance with the approved instructions and they are safe for passing traffic.
- (viii) that has been delegated to accompany the Commissioner of Railways Safety on his inspection and all information supplied or engagements entered into by him shall bear my authority.

[Sd/-....]

The Principal Chief Engineer"

- 23. In Appendix B of the said rules, under the heading "CATECHISM FOR SIGNALLING AND INTERLOCKING INSTALLATIONS", under sub-heading "III. INSPECTION ON THE TRACK", in the note, clause (b) of serial number 2, for the word "details", the word "derails" shall be substituted;
- In the heading B. "ADDITIONAL CATECHISM FOR POWER OPERATED POINTS AND SIGNALS", of the said rules,-
 - (a) under sub-heading "I. THE SIGNALS",-
 - in serial number 4, the words "with exception of motor commutators, etc.", shall be omitted;
 - (ii) serial number 7 shall be omitted;
 - (b) under sub-heading "II. POINTS",-
 - (i) in serial number 3, for the word "bank", the words "Crank handle" shall be substituted;
 - (ii) in serial number 4, the words "with the exception of motor commutators", shall be omitted;
 - (iii) in serial number 5, for the word "with", the word "without" shall be substituted;
 - (iv) for serial number 7, the following serial number shall be substituted, namely:-"7. In order to prevent the movement of points while a train is passing over them, are points provided with track circuit locking?"
 - (c) under sub-heading "IV. CABLES AND CIRCUIT", in serial number 1, after the word "sealed", the words "or locked" shall be inserted.

[F. No. 70/WDO/ORI/RO/1/Vol.IX]

ROOP NARAYAN SUNKAR, Member Infrastructure and Ex-Officio Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 625(E), dated the 21st July, 2000 and was last amended vide notification number G.S.R. 945(E), dated the 1* October, 2018.